



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-87/2023-24

सरकार

बनाम्

क्रिस मरण्डी

—: आदेश :—

6/2/24

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला हनवारा थाना काण्ड संख्या-62/2022 दिनांक-28.11.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने अपने पत्रांक-4455/अप0शा0 दिनांक-20.10.2023 से धारा-379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004, 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट-1973 के तहत कांड में जप्त 1. जुगाड़ गाड़ी Pulsor 150, इंजन नंबर-DHGBN C09455 तथा उस पर लदे कोयला को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. जुगाड़ गाड़ी Pulsor 150, इंजन नंबर-DHGBN C09455, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध अवैध रूप से कोयला की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या-02 में इस कांड को धारा-379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004, 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट-1973 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. जुगाड़ गाड़ी Pulsor 150, इंजन नंबर-DHGBN C09455, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त 1. जुगाड़ गाड़ी Pulsor 150, इंजन नंबर-DHGBN C09455, के मालिक क्रिस मरण्डी, पे0 -बुद्धराय मरण्डी, सा0-बेलडीहा, थाना-ललमटिया, जिला-गोड्डा के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त 1. जुगाड़ गाड़ी Pulsor 150, इंजन नंबर-DHGBN C09455 एवं उस पर कोयला के विरुद्ध धारा-379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004, 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन)

अधिनियम 1957 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट-1973 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी को कारण-पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश निर्गत किया गया। विपक्षी की ओर से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया है।

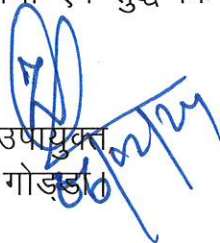
विपक्षी क्रिस मरण्डी का कथन है कि विपक्षी ने जुगाड़ गाड़ी दिनांक-29.10.2021 को मुख्तार अंसारी को बेच दिया है, जिसका मालिकाना हक मुख्तार अंसारी का है। इसलिए आवेदक को वर्तमान प्रक्रिया से मुक्त करने की कृपा की जाय।

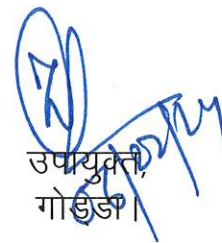
सरकारी वकील का कथन है कि जप्त वाहन अवैध कोयला के परिवहन में जप्त किया है। इसलिए राजसात किया जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि धारा-379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004, 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट-1973 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. जुगाड़ गाड़ी Pulsor 150, इंजन नंबर-DHGBN C09455, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध सत्य पाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन के द्वारा अवैध रूप से कोयला का परिवहन किया जा रहा था।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में काण्ड में जप्त 1. जुगाड़ गाड़ी Pulsor 150, इंजन नंबर-DHGBN C09455 तथा उस पर लदे कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा/जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा/जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा/थाना प्रभारी, हनवारा को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
गोड्डा।


उपायुक्त,
गोड्डा।